झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक – प०नि०वि० / 6–योजना–100 / 2016 – 937 (S) दिनांक – 07/03/2026

स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०),
झारखण्ड,
हिनू, रांची।

विषयः– **पथ प्रमण्डल, हजारीबाग अन्तर्गत "पदमा महल, मेन गेट (थाना चौक) (NH–33 पर)–हवा महल–प्रखण्ड कार्यालय–पदमा बजार–पदमा रेलवे स्टेशन पथ (कुल लंबाई–8.070 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (पुल निर्माण, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं भू–अर्जन सहित)" हेतु रू० 26,11,68,800 / – (रूपये छब्बीस करोड़ ग्यारह लाख अड़सठ हजार आठ सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के सम्बंध में।**

आदेशः– उपर्युक्त कार्य के लिए कुल रू० 26,11,68,800 / – (रूपये छब्बीस करोड़ ग्यारह लाख अड़सठ हजार आठ सौ) मात्र की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस कार्य का मूल प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक–1155(S) दिनांक 27.02.17 द्वारा रू० 18,76,35,100 / – (अठारह करोड़ छिहत्तर लाख पैंतीस हजार एक सौ रू०) हेतु प्रदत्त है।

3. इस निर्माण कार्य में होने वाला व्यय झारखण्ड सरकार के पथ निर्माण विभाग के व्यय शीर्ष– "मुख्य शीर्ष–5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–03–राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष–337–सड़क निर्माण कार्य, उप शीर्ष–01–वृहद सड़कें, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण– 45–निर्माण कार्य" के अन्तर्गत उपलब्ध बजटीय सीमा के अधीन विकलनीय होगा।

4. इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हजारीबाग होंगे, तथा इस राशि की निकासी कोषागार, हजारीबाग से की जायेगी।

5. इस कार्य को निम्न संशोधित वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप पूरा किया जाएगाः–

2024–25 तक व्यय	रू० 1862.90795 लाख
2025–26	रू० 748.78005 लाख

6. मुख्य अभियंता (या०), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची इस कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रतिमाह नियमित रूप से करेंगें।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे यह देखें कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरूद्व राशि व्यय की जा रही है जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है तो इसकी निकासी को रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देगें।

8. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

ह०/– 06/03/2026
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

12/3/26

ई॰ सेल

ज्ञापांक– प0नि0वि0/6–योजना–100/2016 – 937(S) दिनांक– 07/03/2026

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता (याता0) पथ निर्माण विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. इस स्वीकृति में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु राशि का प्रावधान सम्मिलित नहीं है ।

3. इस स्वीकृति में आकस्मिकता व्यय की राशि सम्मिलित है, जिसके आवंटन हेतु अधियाचना के साथ उचित प्रयोजन दर्शाया जाना आवश्यक होगा।

4. संबंधित कार्यपालक अभियंता की यह जिम्मेवारी होगी कि योजना कार्यान्वयन हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के अनुरूप निधि का प्रबंध सुनिश्चित करते हुए कार्य पूर्ण किया जाय एवं पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रमाणिकता एवं सत्यता की जाँच सुनिश्चित कर ली जाय।

5. मुख्य अभियंता (या.) पथ निर्माण विभाग, राँची कार्य की अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर प्रतिमाह अभियंता प्रमुख को प्रतिवेदन समर्पित करेगें।

06/03/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0/6–योजना–100/2016 – 937(S) दिनांक– 07/03/2026

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची का प्रकोष्ठ/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, झारखंड, राँची/उपायुक्त, हजारीबाग/संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव (प्र0) पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता (योजना एवं अण्वेषण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता (मु0), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/योजना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/सहायक अभियंता (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, प्रशाखा–12, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची एवं सम्बन्धित प्रशाखा पदाधिकारी को (पाँच प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/03/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0/6–योजना–100/2016 – 937(S) दिनांक– 07/03/2026

प्रतिलिपि :– प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/03/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0/6–योजना–100/2016 – 937(S) दिनांक– 07/03/2026

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सभी सम्बन्धित को ई–मेल (E-mail) से भेजने एवं ई–प्रोक्योरमेंट सेल, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, रांची को वेबसाईट www.jharkhand.gov.in/road पर upload करने हेतु प्रेषित।

06/03/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।